प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.),आसीन्द जिला–भीलवाड़ा

बजरिये श्री संदीप कुमार आर.ए.एस.

मेन्यूअल प्रकरण संख्या	63/2017
G.C.M.S.प्रकरण संख्या	2008/01884
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	21.02.2017
प्रकरण निर्णय होने की दिनांक	20.10.2021

अनवान

1	घीसूलाल पि.हजारी खाती नि.मोड़ का निम्बाहेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा के बजाय जरिये क्रय के I. महावीर प्रसाद पि.गणपतलाल सुथार नि.मोड़ का निम्बाहेड़ा II. ओमप्रकाश पि.गणपतलाल सुथार नि.मोड़ का निम्बाहेड़ा
2	गणपतलाल पि.हजारी खाती नि.मोड़ का निम्बाहेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3.	शान्तिदेवी पत्नि कल्याण खाती नि.मोड़ का निम्बाहेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
4.	रामेश्वर पि.कल्याण खाती नि.मोड़ का निम्बाहेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
5.	जगदीश पि.कल्याण खाती नि.मोड़ का निम्बाहेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
6.	सीता पुत्री कल्याण खाती नि.मोड़ का निम्बाहेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— प्रार्थीगण

बनाम

1	कमला पत्नि रामेश्वर माली नि.मोड़ का निम्बाहेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— अप्रार्थीगण

उपस्थिति –अधिवक्ता प्रार्थीगण	प्रार्थीगण स्वयं उपस्थित
उपस्थितिः- अधिवक्ता अप्रार्थी	अप्रार्थिया संख्या 1 उपस्थित तहसीलदार आसीन्द उपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

:: निर्णय ::

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:42:00 IST
Reason: SelfAttested

(1) प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] 1956 प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया है कि प्रार्थीगण [illegible] खाती के नाम साबिक रेकार्ड में निम्नांकित भूमि दर्ज होकर खातेदारी हक से चली आ र[illegible]:–

गांव का नाम	संवत	आ.न.	रकबा	
मोड़ का निम्बाहेड़ा	२०३२-३६	१२८३	४)	

सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) आसीन्द (भीलवाड़ा)

(2) उक्त साबिक कृषि भूमि के नये भूप्रबन्ध में निम्न आराजी नम्बर कायम किये गये है –

हाल आ.नं.	रकबा	साबिक आ.नं.	रकबा
2009	0.45	१२८३मी	४)
2010	0.38	१२८३मी	

(3) वक्त सेटलमेन्ट राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी विधिक हक व अधिकार के एंव बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अपने अधिकारों से परे जाकर कानून की मंशा के विपरीत साबिक नक्शा ट्रेस के मुकाबले नये नक्शा ट्रेस में आराजी नम्बर 2009 की उत्तरी दिशा की ओर बिन्दु के रूप में अंकित कर उसे पगडण्डी रास्ता दर्ज कर दिया है जबकि उक्त आराजियात में मौके पर एंव राजस्व रेकार्ड में भी कोई रास्ता दर्ज नहीं था।

(4) प्रार्थीगण उक्तानुसार साबिक राजस्व रेकार्ड व नक्शा ट्रेस के हाल राजस्व रेकार्ड में की गयी गलती को पुनः दुरूस्त करवाकर इन्द्राज दुरस्ती की आज्ञप्ति करने के अधिकारी है।

(5) विपक्षी संख्या एक कमलादेवी द्वारा उक्त गलती यानी डोटेड लाइन का फायदा उठाने की गरज से इसे रास्ता बताते हुये आये दिन प्रार्थीगणो को परेशान करती चली आ रही है। जबकि प्रार्थिया की विरासतीय भूमि मुख्य सड़क से सटकर है।

(6) अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की विरासतीय साबिक आराजी नम्बर 1283 के मुकाबले कायम किये गये नवीन आराजी नम्बर 2009 के नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम को मुकाबले साबिक नक्शा ट्रेस अनुसार दुरस्त किया जाकर उक्त में गलत बिन्दु के रूप में दर्ज पगडंडी को हटाया जावे तथा विपक्षी संख्या 2 को पाबन्द फरमाया जावें। ऐसे पारित किसी भी आदेश की पालना रेकार्ड में करें।

(7) प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राधेश्याम पारीक ने अधिकार प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है।

(8) अप्रार्थी संख्या एक को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब प्रार्थना पत्र की स्टेज बंद की गयी। जवाब सरकार प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी पेश किया गया जो स्वीकार किया जाता है।

(9) पत्रावली आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 केम्प मोड़ का निम्बाहेड़ा " में चिन्हित होने से प्रस्तुत की गयी। उभय पक्षकार उपस्थित है। भू.अ.निरीक्षक मोड़ का निम्बाहेड़ा से मौका रिपोर्ट हाल रेकार्ड एंव साबिक रेकार्ड से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गयी जो शामिल पत्रावली है।

(10) पत्रावली का गहन अध्ययन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों एंव मौका रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक का अवलोकन किया गया। अवलोक पर स्पष्ट हुआ कि प्रार्थीगणों की कृषि भूमि ग्राम मोड़ का निम्बाहेड़ा की साबिक एंव हाल रेकार्ड में स्थिति निम्न प्रकार है –

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:42:00 IST
Reason: SelfAttested

हाल आ.नं.	रकबा	किस्म		साबिक आ.नं.	रकबा	किस्म	
2009	0.45	गै.मु. चाही। जाव।	0.05 0.16 0.24	१२८३मी	४)	कु.। बी।	३)३ III)२
2010	0.38	चाही। जाव।	0.15 0.23	१२८३मी			

सहायक कलक्टर
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि में साबिक रेकार्ड के मुकाबले नये भूप्रबन्ध में आ.नं.2009 में किस्म 0.05 की किस्म गै.मु.अधिकार क्षैत्र से परे जाकर दर्ज किया जाना प्रतीत होता है जबकि रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक मोड़ का निम्बाहेड़ा के अनुसार मौका स्थिति के अनुसार सम्पूर्ण भूमि सिंचित होकर पक्की दीवार के भीतर स्थित है। कृषि भूमि में वर्तमान में ऐसा कोई भू भाग नहीं है जो कृषि योग्य नहीं होकर गै.मु. है। रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक के मुताबिक वादग्रस्त भूमि में कोई रास्ता विद्यमान नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है –

◂ क्रियात्मक आदेश ▸

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की ग्राम मोड़ का निम्बाहेड़ा में स्थित कृषि भूमि में निम्नानुसार भूमि किस्म,लगान एंव नक्शा दुरूस्ती किये जाने के आदेश किये जाते है –

वर्तमान रेकार्ड की स्थिति			दुरूस्त किये जाने पर स्थिति		
1	2	3	4	5	6
आ.नं.	रकबा	किस्म	आ.नं.	रकबा	किस्म
2009	0.45	गै.मु. 0.05 चाही। 0.16 जाव। 0.24	2009	0.45	चाही। 0.16 जाव। 0.29
2010	0.38	चाही। 0.15 जाव। 0.23	2010	0.38	चाही। 0.15 जाव। 0.23

तदनुसार उक्त कॉलम नम्बर 4 से 6 के अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल-दरामद किया जावें तथा नक्शा दुरूस्ती की जावें। पालना हेतु तहसीलदार आसीन्द को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें एंव दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को केम्प मोड़ का निम्बाहेड़ा में मजमे-आम सुनाया गया।

(संदीप कुमार)
सहायक कलक्टर {S.D.O.}
आसीन्द जिला-भीलवाडा

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड आसीन्द जिला भीलवाड़ा

क्रमांक / रीडर / 2021 / 1२ दिनांक 21-----/10/2021

प्रतिलिपीः- तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णय की पालना में राजस्व रेकार्ड में आवश्यक [illegible] पालना रिपोर्ट मय राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियों के इस न्यायालय में प्रस्तुत [illegible] सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:42:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर {S.D.O.}
आसीन्द जिला-भीलवाडा